

(198)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल गवालियर कैम्प रीवा सम्भाग रीवा म0प्र0

रा0प्र0क0.....



82-30/-

₹5090प्र0116

1—प्रेमवती सिंह पुत्री स्व0बुद्धसेन सिंह पत्नी श्री इन्द्रपाल सिंह उम्र 60 वर्ष पेशा ग्रह कार्य निवासी ग्राम अटरिया पोरट अटरिया तहसील हूजूर जिला रीवा म0प्र0।

2—सावित्री सिंह पुत्री स्व0बुद्धसेन सिंह पत्नी स्व0श्री रामावतार सिंह उम्र 52 वर्ष पेशा ग्रह कार्य निवासी ग्राम मगरौरा पोरट मगरौरा तहसील मैहर जिला सतना म0प्र0।

3—सविता सिंह पुत्री स्व0बुद्धसेन सिंह पत्नी श्री रविप्रताप सिंह उम्र 49 वर्ष पेशा ग्रह कार्य निवासी ग्राम मौहारी कटरा पोरट मौहारी कटरा तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 निगराकारण
दारा आज दिनांक 17-01-2016 म0प्र0
प्राप्ति किया गया।

बनाम

सर्किट कोर्ट निवासी ग्राम भूषण सिंह तनय श्री जय सिंह उम्र 34 वर्ष पेशा नौकरी निवासी ग्राम महिदलकला पोरट गाजन तहसील कोटर (बर्तमान तहसील रामपुर बाघेलान) जिला सतना म0प्र0 हाल निवास— परिजात निवास के पीछे, बम्हनगवा सतना जिला सतना म0प्र0।

2—राजेभान सिंह तनय स्व0बुद्धसेन सिंह उम्र 56 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम महिदलकला पोरट गाजन तहसील कोटर (बर्तमान तहसील रामपुर बाघेलान) जिला सतना म0प्र0

3—जय सिंह तनय स्व0बुद्धसेन सिंह उम्र 56 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम महिदलकला पोरट गाजन तहसील कोटर (बर्तमान तहसील रामपुर बाघेलान) जिला सतना म0प्र0
4—रामलली पुत्री स्व0बुद्धसेन सिंह पत्नी स्व0सुरेश सिंह (मृत) जरिए वारिसान

क—अरुणेन्द्र सिंह तनय स्व0सुरेश सिंह उम्र 26 वर्ष।

ख—रेनू पुत्री स्व0सुरेश सिंह उम्र 24 वर्ष।

ग—वरुणेन्द्र सिंह तनय स्व0सुरेश सिंह उम्र 21 वर्ष।

घ—मणिराज सिंह तनय स्व0सुरेश सिंह उम्र 19 वर्ष सभी निवासी ग्राम वीरखाम पोरट वीरखाम तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0।

गैरनिगराकारण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान तहसीलदार रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0द्वारा प्रकरण क्रमांक-9अ27 / 13-14 मे पारित आदेश दिनांक 30-01-2016 के।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भूरारोसंहिता

मान्यवर,

17/1/2016

निगराकारण निम्नलिखित निगरानी प्रसाप्त कर विनयी है कि :-

प्रमाणित
प्रमाणित

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

प्रमाणित
प्रमाणित

प्रमाणित
प्रमाणित

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

गामला क्र0R.5090-II/16

जिला—सतना

प्रेमवती / शिवभूषण सिंह

(1)	(2)	(3)
22.08.17	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</p> <p>3. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा—35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण प्रंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;">संदर्भ</p>	